सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

RECOVERY OF LIQUOR

प्रेस नोट- दिनांक 06.01.2025

अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 03 अन्तर्जनपदीय शराब तस्करों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 54 पेटी अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 10 लाख रूपये), 55 खाली क्रेट, शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 डीसीएम (अनुमानित कीमत 25 लाख रूपये) किया गया बरामद।

(कुल अनुमानित कीमत 35 लाख रूपये) ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के कुशल मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी,परिवहन एवं बिक्री की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में दिनांक 05/06.01.2025 को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा थाना जसवन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि फुलरई गांव के गेट के पास 01 डीसीएम खड़ी है जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब भरी है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीमों द्वारा **01 डीसीएम को कुल 03 व्यक्तियों सहित** समय करीब **03.40 बजे सुबह गिरफ्तार** किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये ट्रक की तलाशी ली गयी तो उसमें खाली क्रेटों के नीचे छिपी 54 पेटी इम्पीरियल स्टाइल कम्पनी की अंग्रेजी शराब बरामद की गयी। बरामद अवैध अंग्रेजी शराब के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर ट्रक चालक द्वारा बताया गया कि हम लोग यह शराब जनपद बुलन्दशहर से भरकर जनपद कानपुर ले जा रहे थे। ट्रक के इन्जन नम्बर एवं चैसिस नम्बर चैक किये गये तो भिन्न-भिन्न पाये गये जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अवैध अंग्रेजी शराब के परिवहन में उक्त डीसीएम का प्रयोग करते हैं

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध मे थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 04/2024 धारा 318(4)/338/336(3), 340(2) BNS व 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

नोटः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे गठित टीम उक्त अवैध शराब तस्करी/परिवहन की घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

ट्रक चालक जाहिद अली पूर्व में भी जनपद बिहार से जेल जा चुका है जिसके आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01. जाहिद अली पुत्र युसूफ अली निवासी उदयीपुर पोस्ट पूराधानी थाना असपुर देव सरा जनपद प्रतापगढ **उम्र करीब 35 वर्ष।**

02. अविनाश प्रताप पुत्र वीरपाल सिंह निवासी बागवाला थाना बागवाला जनपद एटा **उम्र करीब 38 वर्ष।**

03. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र अजय पाल सिंह निवासी गांव नगला पोता थाना कोतवाली नगर जनपद एटा **उम्र करीब 36 वर्ष।**

बरामदगी-

कुल 54 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कुल मात्रा 500 लीटर

1. 349 बोटल इम्पीरियल स्टाइल 750 ML **(30 पेटी)**
2. 24 पेटी प्रत्येक में 48 क्वाटर 180 ML
3. 01 डीसीएम नं0 (**UP14 JT4511)**
4. 55 खाली क्रेट

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 04/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- **प्रथम टीमः-** निरी0 श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

द्वितीय टीमः- निरी0 श्री रामसहाय सिंह प्रभारी थाना जसवन्तनगर, निरी0 नरेन्द्र कुमार मिश्रा, उ0नि0 रामदास सिंह, उ0नि0 ललित किशोर चतुर्वेदी, हे0का0 उमेश कुमार, का0 सनोज कुमार, का0 चालक सुशील कुमार।

नोटः- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 15,000/- रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया।